भारत में अपराध – 2023

झलकियां (महानगर - >20 लाख जनसंख्या)

(19 महानगर: अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयंबटूर, दिल्ली, गाजियाबाद, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, कोझीकोड, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे और सूरत)

क) समग्र अपराध

i. वर्ष 2023 के दौरान 19 महानगरों में कुल 9,44,291 संज्ञेय अपराधों को दर्ज किया गया, जिनमें 6,67,351 अपराध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत और 2,76,940 स्थानीय और विशेष कानून (स्था. एवं वि. का.) से संबंधित अपराध थे। इन अपराधों में वर्ष 2022 (8,53,470 मामले) की तुलना में 10.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। **[तालिका –1बी.1 और 1बी.2]**

ii. वर्ष 2023 के दौरान, आईपीसी के तहत दर्ज किए गए अपराधों में 7.6% की वृद्धि हुई है और एसएलएल के तहत पंजीकृत अपराधों में वर्ष 2022 की तुलना में 18.8% की वृद्धि हुई है। **[तालिका – 1बी.1 और 1बी.2]**

iii. वर्ष 2023 के दौरान आईपीसी अपराधों की प्रतिशत भागिता 70.7% थी, जबकि एसएलएल मामलों का प्रतिशत 29.3% था। **[तालिका – 1बी.1 और 1बी.2]**

iv. वर्ष 2023 के दौरान आईपीसी अपराधों के तहत अधिकांश मामले चोरी के (6,67,351 मामलों में से 2,99,203) दर्ज किए गए थे, जो कुल मामलों के 44.8% थे। इसके बाद सार्वजनिक रास्तों पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले 9.2% (61,570 मामले) और सार्वजनिक रास्तों पर अवरोध (धारा 283 भा°द°सं) के मामले 8.1% (53,742 मामले) पाए गए । **[तालिका – 1बी.4]**

v. वर्ष 2023 के दौरान एसएलएल अपराधों के अंतर्गत अधिकांश मामले निषेध अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे, जो कुल मामलों के 26.7% (2,76,940 मामलों में से 74,077) थे, इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित मामले 12.5% (कुल 34,656 मामले) और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम के 10.3% (28,642 मामले) दर्ज किए गए । **[तालिका - 1बी.5]**

vi. वर्ष 2023 के दौरान, कुल 10,35,993 आईपीसी मामले (पिछले वर्ष से लंबित 3,68,572 मामले + वर्ष के दौरान दर्ज किए गए 6,67,351 मामले + जांच के लिए फिर से खोले गए 70 मामले) जांच के दायरे में थे, जिनमें से कुल 6,84,933 मामलों का पुलिस द्वारा निपटान किया गया था, जिनमें से 3,53,861 मामलों में आरोप-पत्र दायर किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप आरोप-पत्र दायर करने की दर 51.7% रही। **[तालिका – 17बी.1]**

ख) मानव शरीर को आहत करने वाले अपराध[1] – सारांश

मानव शरीर को आहत करने वाले अपराधों के कुल 92,610 मामले दर्ज किए गए, जो कि वर्ष 2023 के दौरान 19 महानगरों के कुल आईपीसी अपराधों का 13.9% था। इन मामलों में उपहति के मामले (कुल 44,954) सर्वाधिक (48.5%) थे और उसके बाद सबसे ज्यादा अपहरण और व्यपहरण के मामले (कुल 15,039, 16.2%) एवं लापरवाही से मौत (कुल 9,968, 10.8%) दर्ज हुए। **[तालिका – 1बी.4]**

मानव शरीर को आहत करने वाले अपराधों के अंतर्गत दर्ज मामलों (कुल 86,951) में वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 6.5% की वृद्धि देखी गई। इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज अपराधों की दर वर्ष 2022 में 76.2 से बढ़कर वर्ष 2023 में 81.2 हो गई। **[तालिका – 1बी.4]**

ग) हत्या

i. वर्ष 2023 के दौरान हत्या के कुल 2,004 मामले दर्ज किए गए, जिसमें वर्ष 2022 के 2,031 मामलों की तुलना में 1.3% की कमी देखी गई। वर्ष 2023 के दौरान दर्ज अपराध दर (1.8%) में कोई बदलाव नहीं है। **[तालिका – 2बी.1]**

ii. हत्या के सभी मामलों को देखें तो 'विवाद' (कुल 870 मामले) सबसे अधिक मामलों में हत्या का मूल कारण रहा। इसके बाद 'आपसी रंजिश या दुश्मनी' (353 मामले) और 'अवैध संबंध' (109 मामले) हत्या के मूल कारण बनकर सामने आए । **[तालिका – 2बी.2]**

घ) अपहरण एवं व्यपहरण

i. वर्ष 2023 के दौरान अपहरण और व्यपहरण के कुल 15,039 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2022 (13,984 मामले) की तुलना में 7.5% अधिक रहे। **[तालिका – 2डी.1]**

ii. वर्ष 2023 के दौरान, कुल 15,181 अपहृत या व्यपहृत व्यक्तियों (4,914 पुरुष और 10,267 महिला) को छुड़ा लिया गया, जिनमें से 15,167 व्यक्ति जीवित बचा लिए गए , वहीं 14 व्यक्ति मृत पाए गए। [**तालिका – 2डी.4]**

च) सार्वजनिक शांति भंग करने के अपराध

वर्ष 2023 के दौरान भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सार्वजनिक शांति भंग करने के अपराधों के कुल 2,965 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से दंगों के मामले हैं (1,219) जो कि ऐसे कुल मामलों का 41.1% है। सार्वजनिक शांति भंग करने के अपराधों के मामलों में वर्ष 2022 (3,457 मामले) की तुलना में वर्ष 2023 में 14.2% की कमी दर्ज की गई है। **[तालिका – 1बी.4]**

छ) महिलाओं के प्रति अपराध

i. वर्ष 2023 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 51,393 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2022 (48,755 मामले) की तुलना में 5.4% की वृद्धि दर्शाता है। **[तालिका – 3बी.1]**

नोट 1 : आईपीसी के अध्याय XVI में "मानव शरीर को आहत करने वाले अपराधों" से संबन्धित प्रावधान वर्णित हैं।

ii. महिलाओं के प्रति अपराध के अधिकांश दर्ज मामले 'पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता' (15,813 मामले, 30.8%) के पाए गए , इसके बाद 'अपहरण और व्यपहरण' के मामले (10,532 मामले, 20.5%) 'शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला' होने के मामले (9,248 मामले, 18.0%) और 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012' के मामले (7,305 मामले, 14.2%) मुख्य रूप से दर्ज किए गए । **[तालिका – 3बी.2]**

ज) बच्चों के प्रति अपराध

i. वर्ष 2023 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध के कुल 22,433 मामले दर्ज किए गए, जिनमें वर्ष 2022 (20,550 मामले) की तुलना में 9.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। **[तालिका – 4बी.1]**

ii. प्रतिशत की दृष्टि से, 'बच्चों के प्रति अपराध' के तहत दर्ज अधिकांश मामलों में प्रमुखता अपहरण और व्यपहरण (12,545 मामले, 55.9%) की रही। तत्पश्चात 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012' के तहत दर्ज मामले (7,578 मामले, 33.8%) सर्वाधिक पाए गए । **[तालिका – 4बी.2]**

झ) कानूनी मामलों में फँसे किशोर

i. वर्ष 2023 के दौरान किशोरों के प्रति कुल 5,480 मामले दर्ज किए गए, जो कि वर्ष 2022 (5,352 मामले) की तुलना में 2.4% अधिक रहे। **[तालिका – 5बी.1]**

ii. वर्ष 2023 के दौरान 5,480 मामलों में कुल 7,521 किशोरों को पकड़ा गया, जिनमें से 6,882 किशोरों को आईपीसी मामलों में और 639 किशोरों को एसएलएल मामलों में बंदी बनाया गया। **[तालिका – 5बी.4]**

iii. वर्ष 2023 के दौरान आईपीसी एवं एसएलएल अपराधों के तहत कानून का उल्लंघन करने वाले जो किशोर पकड़े गए , उनमें से अधिकांश (79.8%) (कुल 7,521 में से 6,002) 16 से 18 आयु वर्ग के थे। **[तालिका –5बी.4]**

ट) वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध

वर्ष 2022 के 3,996 मामलों की तुलना में वर्ष 2023 के दौरान 19 महानगरों में वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु) के प्रति अपराध के कुल 4,412 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में 10.4% अधिक रहे। **[तालिका – 6बी.1]**

अपराध शीर्ष–वार मामलों से पता चला है कि वर्ष 2023 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ इनके अन्य अपराधों की तुलना में ` एफसीएफ– जालसाजी, ठगी और धोखाधड़ी' के (28.4%, 1,251 मामले) सर्वाधिक मामले दर्ज हुए। इसके बाद चोरी 23.7% (1,045 मामले) का स्थान रहा। **[तालिका – 6बी.2]**

ठ) अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध/ अत्याचार

अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध के कुल 2,520 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2022 (2,347 मामले) की तुलना में 7.4% अधिक हैं। अपराध शीर्ष-वार आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों/अत्याचारों के तहत दर्ज किए गए मामलों में आपराधिक धमकी (संत्रास) के मामले 21.8% (549 मामले) के साथ सबसे ऊपर रहे। इसके बाद 12.5% (314 मामले) के साथ बलात्संग के तहत मामले और 12.2% (307 मामले) के साथ सामान्य उपहति के मामले दर्ज किए गए । **[तालिका - 7बी.2]**

ङ) अनुसूचित जन जातियों के प्रति अपराध/ अत्याचार

अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध के तहत कुल 349 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2022 (329 मामले) की तुलना में 6.1% अधिक रहे। अपराध शीर्ष-वार आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों / अत्याचारों के तहत दर्ज किए गए सबसे अधिक 14.3% मामले बलात्संग (50 मामले) के दर्ज किए गए इसके बाद सामान्य उपहति के 13.5% (47 मामले) और 'शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमला' होने के 9.5% (33 मामले) मामलों का स्थान रहा। **[तालिका - 7डी.2]**

ढ) आर्थिक अपराध

आर्थिक अपराधों के तहत कुल 41,220 मामले दर्ज किए गए, जो वर्ष 2022 (40,760 मामले) में पंजीकृत मामलों की तुलना में 1.1% अधिक रहे। 19 महानगरों में, आर्थिक अपराधों की तीन निर्दिष्ट श्रेणियों यानि आपराधिक विश्वासघात, कूटकरण और एफ.सी.एफ ('जालसाजी, ठगी और धोखाधड़ी') में से, वर्ष 2023 के दौरान एफसीएफ (36,426 मामले) के अंतर्गत अधिकतम (88.4%) मामले दर्ज किए गए। **[तालिका - 8बी.2]**

त) साइबर अपराध

साइबर अपराधों के तहत कुल 33,955 मामले दर्ज किए गए हैं, जो वर्ष 2022 (24,420 मामले) की तुलना में 39.0% अधिक रहे। वर्ष 2023 में साइबर अपराध दर भी वर्ष 2022 के 21.4 से बढ़कर 29.8 हो गई। अपराध के शीर्ष-वार मामलों से पता चलता है कि कंप्यूटर से संबंधित अपराध (आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत) (20,468 मामले) वर्ष 2023 के दौरान साइबर अपराधों में 60.3% के साथ अग्रगण्य रहे। **[तालिका - 9बी.2]**

थ) सम्पत्ति से जुड़े अपराध

'संपत्ति से जुड़े अपराधों के तहत वर्ष 2022 में दर्ज 3,04,661 मामलों की तुलना में, वर्ष 2023 में कुल 3,28,100 मामले दर्ज किए गए, जो गत वर्ष की अपेक्षा 7.7% अधिक रहे। सबसे ज्यादा मामले चोरी के (कुल 2,99,203) दर्ज किए गए, जो ऐसे कुल मामलों के 91.2% थे।

चोरी के सबसे अधिक मामले (कुल 2,28,173) दिल्ली में दर्ज किए गए, इसके बाद बेंगलुरु (10,438 मामले), जयपुर (10,003 मामले) और मुंबई (9,361 मामले) में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए जो कि कुल दर्ज मामलों का क्रमशः 76.3%, 3.5%, 3.3% और 3.1% था। **[तालिका - 1बी.4]**

द) दस्तावेज़ एवं संपत्ति चिह्न से संबंधित अपराध

वर्ष 2022 में दर्ज 36,154 मामलों की तुलना में, वर्ष 2023 के दौरान दस्तावेज एवं सम्पत्ति चिह्न से संबंधित अपराध के तहत 36,547 मामले दर्ज किए गए, जिनमें कूटकरण और एफसीएफ (जालसाजी, ठगी और धोखाधड़ी) शामिल हैं। एफसीएफ के अंतर्गत अपराध (कुल 36,426) ऐसे कुल मामलों के 99.7% रहे। **[तालिका - 1बी.4]**

ध) आईपीसी के तहत दर्ज मामलों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान

क्रमांक	भा.दं.सं.के तहत अपराध	जाँच के लिए प्रस्तुत कुल मामले	कुल मामले जिनमें आरोप-पत्र दायर हुए	आरोप-पत्र दायर होने की दर	विचारणाधीन कुल मामले	दोषसिद्ध कुल मामले	दोषसिद्धि दर
1.	हत्या	3,178	1,841	90.9	24,554	412	37.1
2.	बलात्संग	4,905	3,090	87.3	26,567	495	24.2
3.	दंगे	3,432	1,092	90.4	31,104	240	30.5
4.	अपहरण और व्यपहरण	32,967	3,311	19.4	32,901	313	25.9

नोट: आरोप पत्र दायर होने की दर = आरोप पत्र दायर किए गए मामलें / पुलिस द्वारा निपटाए गए मामलें * 100

दोष सिद्धि दर = दोष सिद्ध मामलें / मामलें जिनमें विचारण पूरा कर लिया गया * 100

न) एसएलएल मामलों का पुलिस एवं न्यायालय द्वारा निपटान

क्रमांक	स्थानीय एवं विशेष कानूनों के तहत अपराध	जाँच के लिए प्रस्तुत कुल मामले	कुल मामले जिनमें आरोप-पत्र दायर हुए	आरोप-पत्र दायर होने की दर	विचारणाधीन कुल मामले	दोषसिद्ध कुल मामले	दोषसिद्धि दर
1.	आबकारी अधिनियम	18,496	13,755	99.7	77,836	5,621	85.6
2.	मोटर वाहन अधिनियम	34,701	34,489	100.0	1,06,860	23,372	98.7
3.	स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985	43,590	26,863	99.9	1,02,758	13,852	90.6

नोट: आरोप पत्र दायर होने की दर = आरोप पत्र दायर किए गए मामलें / पुलिस द्वारा निपटाए गए मामलें * 100

दोष सिद्धि दर = दोष सिद्ध मामलें / मामलें जिनमें विचारण पूरा कर लिया गया * 100

प) गिरफ्तारियां, दोषसिद्धि और दोषमुक्ति

वर्ष 2023 के दौरान 19 महानगरों में कुल 7,33,983 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण इस प्रकार हैं:

i. 6,67,351 आईपीसी अपराधों के तहत कुल 4,49,315 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 4,90,297 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए गए ; 1,46,022 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया; 95,153 व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया और 12,932 व्यक्ति रिहा कर दिए गए । **[तालिका - 19बी.6]**

ii. 2,76,940 एसएलएल अपराधों के तहत कुल 2,84,668 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। कुल 2,93,118 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किए गए , 1,66,183 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया, 43,134 व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया और 5,162 व्यक्ति रिहा कर दिए गए । **[तालिका - 19बी.8]**

19 महानगरों में से, आईपीसी अपराधों के तहत आरोप-पत्र दायर करने की दर क्रमशः कोच्चि (97.2%), कोलकाता (94.7%) और पुणे (94.0%) में अधिकतम रही।